



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2731]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2016/कार्तिक 30, 1938

No. 2731]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2016/KARTIKA 30, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2016

का.आ. 3495(अ).— केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011 के नियम 3 और नियम 4 को और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 3 जून, 2013 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1446(अ) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. स्वतंत्र सदस्य

क्रम संख्या	(1)	(2)	(3)
(1)	श्री बी. जनार्दन रेड्डी 8-2-686/1/एल/ए, रोड संख्या 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034	-	अध्यक्ष
(2)	श्री प्रताप सिम्हा मैसूर	संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
(3) (i)	श्री पी. विष्णु कुमार राजू	विधान सभा सदस्य, आंध्र प्रदेश	सदस्य
(ii)	श्री तागे ताकी, तादर तंग मार्ग, नीति विहार, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश-791111	विधान सभा सदस्य, अरूणाचल प्रदेश	सदस्य

(4)	श्री रितुराज सिन्हा, अन्नपूर्णा भवन, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, कुरजी, पटना, बिहार-800010	अर्थशास्त्री	सदस्य
(5)	पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद	-	सदस्य
(6) (i)	अध्यक्ष, राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड, मध्य प्रदेश	-	सदस्य
(ii)	अध्यक्ष, राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड, महाराष्ट्र	-	सदस्य
(7) (i)	सचिव अथवा आयुक्त, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार	प्रतिनिधि, हरियाणा राज्य सरकार	सदस्य
(ii)	सचिव अथवा आयुक्त, श्रम विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार	सदस्य

2. नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

(1)	श्री बी. सी. प्रभाकर, अध्यक्ष कर्नाटक नियोक्ता संघ, संख्या 74, शंकरा अर्केड, वानीविलास रोड, बासावनागुडी, बंगलुरु 560004	भारतीय नियोक्ता परिषद	सदस्य
(2)	श्री डी.यू. मेनन, ज्येष्ठ सलाहकार, भारतीय नियोक्ता परिसंघ, 1703, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-1, कफ परेड, मुम्बई-400005	भारतीय नियोक्ता परिषद	सदस्य
(3)	श्री के. मनिकम, महासचिव, दक्षिण भारत नियोक्ता परिसंघ ए-9, दूसरा तल, आरोश्री अपार्टमेंट्स संख्या 10, वैद्यरमन स्ट्रीट, टी नगर, चैन्नई-600017	भारतीय नियोक्ता परिषद	सदस्य

(4)	श्री माइकल डायस, सचिव, नियोक्ता संघ दिल्ली, 54, कैलाश कुंज अपार्टमेंट्स, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048	भारतीय नियोक्ता परिषद	सदस्य
(5)	डॉ. यू.डी. चौबे, महानिदेशक, लोक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन, कोर-8, प्रथम तल, स्कोप कॅम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	भारतीय नियोक्ता परिषद	सदस्य
(6)	श्री एस.ए. खान समूह महाप्रबंधक (सीए) लोक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन, कोर-8, प्रथम तल, स्कोप कॅम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	भारतीय नियोक्ता परिषद	सदस्य
(7)	श्री श्रीनागेश्वर, वीपी-ग्रुप इंडस्ट्रियल रिलेशनस, सिम्पसन एण्ड को. लिमिटेड, 861/862, अन्ना सलाई, चैन्नई-600002	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई)	सदस्य
(8)	श्री सतीश आनंद, संयुक्त अध्यक्ष-हुमेन रिलेशनस, हिनडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पो.ओ. रेणुकूट, जिला सोनभद्रा, रेणुकूट- 231217	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई)	सदस्य
(9)	श्री डी.एल. शर्मा, सदस्य, सीआईआई की औद्योगिक संबंध पर राष्ट्रीय समिति और प्रबंधक निदेशक, वर्धमान यांर्स एण्ड श्रेड्स लिमिटेड, कॉन्फीडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया हैबिटेड सेंटर, कोर-4ए, चतुर्थ तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	कॉन्फीडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई)	सदस्य
(10)	श्री पी.के.जैन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द माल्ट कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 1101, वेल डन टेक पार्क, 11वां तल, सेक्टर - 48, सोहना रोड, गुडगाँव-122001	एसोशियेटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एसोसोचेम)	सदस्य

(11)	श्री एन. ताराचन्द्र डूगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सहकर, चतुर्थ तल, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई-400001	ऑल इंडिया मेनुफेक्चर्स ऑर्गनाइजेशन (एआईएमओ)	सदस्य
(12)	श्री वी.जे. वघासिया ए-16, पारुल नगर, प्रथम तल, भुयांगदेव चार रास्ता, सोला रोड, अहमदाबाद- 380061	लघु उद्योग भारती	सदस्य
(13)	श्री काशी नाथ मिश्रा 1, विनायक भवन, ए.पी. सेन रोड, लखनऊ	भारतीय किसान संघ	सदस्य
(14)	श्री पुशपेंदर गौड़, खान उपनियंत्रक, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, सेक्टर नं. 11, हिरन मगरी स्कीम, उदयपुर-313001	खान मंत्रालय	सदस्य
(15)	श्री डी.वी.राव, संस्थान निदेशक (एलएल), रूम नं. 514-ए, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली	रेल मंत्रालय	सदस्य

3. कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(1)	श्री सुखदेव प्रसाद मिश्रा, 2, नवीन मार्केट, कानपुर-208001 श्री पवन कुमार,	भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)	सदस्य
(2)	राम नरेश भवन, 2426, तिलक गली, पहाड़ गंज, नई दिल्ली-110055	भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)	सदस्य
(3)	श्री योगेश दत्त मिश्रा, दिग्विजय चौक, ब्रमहन पारा, राजनंदगाँव-491441	भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)	सदस्य
(4)	श्री राकेश्वर पांडे, आईएनटीयूसी के सचिव और आईएनटीयूसी के महासचिव, झारखण्ड शाखा, क्वार्टर नं. एच-6/1068, ओ.सी. रोड, साउथ पार्क बिस्टूपुर, जमशेदपुर-831001	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी)	सदस्य

(5)	श्री संजय कुमार सिंह, आईएनटीयूसी के सचिव और आईएनटीयूसी के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ब्रांच, क्वॉंटर नं. सी- 5/28, प्रकाश कुंज, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चम्पा-495671, जिला जंजगीर चम्पा, छत्तीसगढ़	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी)	सदस्य
(6)	श्री डी. एल. सचदेव, सचिव, 35-36 डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली- 110002	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी)	सदस्य
(7)	श्री बंत सिंह बरार, सचिव, एआईटीयूसी, सेवा में, पंजाब स्टेट कमिटी ऑफ एआईटीयूसी, मकान.नं.1156/1, सेक्टर 40-बी, चंडीगढ़	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी)	सदस्य
(8)	श्री थम्पन थोमस सचिव, “अनमला” मार्केट रोड कोची – 682011 (केरल)	हिंद मजदूर सभा (एचएमएस)	सदस्य
(9)	श्री मुकेश माथुर, महासचिव उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी संघ बंगलॉव नं. 9बी, गणपती नगर रेलवे कालोनी, जयपुर, राजस्थान	हिंद मजदूर सभा (एचएमएस)	सदस्य
(10)	श्री कश्मीर सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव, सीआईटीयू, महासचिव, हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीटी ऑफ सीआईटीयू, कमरा नं. 9 बावा होटल शिमला- 171003	सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू)	सदस्य
(11)	श्री शंकर साहा, महा सचिव, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, 77/2/1, लेनिन सरानी, कोलकाता-700013	ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी)	सदस्य

(12)	श्री पी. नारायणस्वामी, 7-5-14ए, वेंकटेश्वर कॉलोनी, महबूबनगर, तेलंगना-509001	ट्रेड यूनियन कॉआडिनेशन सेंटर (टीयूसीसी)	सदस्य
(13)	सिस्टर मनाली शाह, सेवा रिसेपसन सेंटर, ऑप विक्टोरिया गार्डन, भद्रा, अहमदाबाद-380001	सेल्फ इम्प्लोइड विमेन एसोसिएशन (सीइडब्ल्यूए)	सदस्य
(14)	श्री आर.एन. ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव, 5, हार्डिंग रोड, पटना- 1, बिहार	ऑल इंडिया सेंट्रल काउन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियनस (एआईसीसीटीयू)	सदस्य
(15)	श्री एम. शानमुगम, महासचिव, “कलाइगनरगम”, न्यू नं. 25, त्यागराय स्ट्रीट, नॉर्थ उस्मान रोड, त्यागराय नगर, चेन्नई- 600017	लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ)	सदस्य

[फा.सं. एस-32022/2/2015-डब्ल्यूसी]

डॉ. डी.चौधरी, उप महानिदेशक


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November, 2016

S. O. 3495(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and rules 3 and 4 of the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 2011 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1446 (E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 3rd June, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints a Central Advisory Board consisting of the following members, namely:-

1. INDEPENDENT MEMBERS

Sl. No.	(1)	(2)	(3)
(1)	Shri B. Janardhan Reddy 8-2-686/1/L/A, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad-500034	-	Chairman
(2)	Shri PratapSimha Mysore	Member of Parliament Lok Sabha	Member
(3) (i)	Shri P. Vishnu Kumar Raju	Member, Legislative Assembly, Andhra Pradesh	Member
(ii)	Shri Tage Taki, Tadar Tang Marg, Niti Vihar, Itanagar, Arunachal Pradesh-791111	Member, Legislative Assembly, Arunachal Pradesh	Member
(4)	Shri Rituraj Sinha, Annapurna Bhawan, Telephone Exchange Road, Kurji, Patna, Bihar-800010	Economist	Member
(5)	Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad	-	Member



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2766]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2016/अग्रहायण 3, 1938

No. 2766]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/AGRAHAYANA 3, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2016

का.आ. 3535(अ).—न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सूचना के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने श्री बी. जनार्दन रेड्डी, जिन्हें भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का.आ. 3495(अ) तारीख 18 नवम्बर, 2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 21 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, का 22 नवम्बर, 2016 से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

[फा. सं. एस-32022/2/2015-डब्ल्यूसी]

डॉ. डी. चौधरी, उपमहानिदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 3495(अ), तारीख 18 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2016

S.O. 3535(E).—In pursuance of the powers conferred by rule 8 of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, it is hereby published for information of the public that the Central Government has accepted the resignation of Shri B. Janardhan Reddy appointed as Chairman of the Central Advisory Board constituted *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3495(E), dated the 18th November, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st November, 2016, with effect from the 22nd November, 2016.

[F. No. S-32022/2/2015-WC]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 3495(E), dated the 18th November, 2016.

5432 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK
KUMAR
Date: 2016.11.24 16:38:06
+05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1255]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939

No. 1255]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

का.आ.1418(अ).—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 8 के साथ पठित न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011 के नियम 3 और नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3495(अ), तारीख, 18 नवम्बर, 2016 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के 1. **स्वतंत्र सदस्य**, शीर्षक के अधीन, क्र. सं. (1) पर अध्यक्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

- “(1) श्री आवुला गोवर्धन
पुत्र स्वर्गीय श्री ए. मलैयाह,
मकान सं. 1-1-107, श्रीनगर गली,
डाकघर और जिला सांगारेड्डी,
तेलंगाना”.

[फा.सं. एस-32022/2/2015-डब्ल्यूसी]

एन.के. संतोषी, उप-महानिदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) का. आ. 3495(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।